

To

The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Sub: O.A. No. 177/2022 Abhisit Kusum Gupta versus State of Uttar Pradesh.

1. That the petitioner filed the above mentioned Original Application by which he has raised the complaint about the destruction and damaged of wetland/water bodies in District Gautam Buddh Nagar and made a prayer that the authorities concerned be directed to take steps for rejuvenation, restoration and improvement of the existing water bodies in the district and take further steps to remove encroachment on the water bodies.
2. In pursuance of the letter dated 5 March 2018 issued by Principal Chief Conservator Forest and Wildlife U.P. to all the District Magistrate, District Wetland Authority was constituted and District Magistrate has been made Chairman and Divisional Forest Officer has been made Member Secretary of the Committee. It is submitted that the committee has been constituted for giving suggestion to the concerned authorities related to identification, sustainable development and preparation of the data, verification of Wetland.
3. After the formation of District Wetland Committee, several meetings were conducted under the chairmanship of District Magistrate Gautam Buddh Nagar.

4. In above context 30 meeting (Annexure-R I) has been conducted under the Chairmanship of District Magistrate of Gautam Buddh Nagar and directed the concern Authorities to comply Minutes of Meeting as on 27.01.2023. In consonance of letter no. 6205/29-1 dated 10.04.2023 issued by District Magistrate, Gautambudh Nagar/Chairman of District Wetland Committee, the petitioner Shri Abhist kusum Gupta was also added in the District Wetland Committee (Annexure- R II). After addition of the Petitioner as a committee member in this context, 15 meeting (Annexure- R III) has been conducted under the Chairmanship of District Magistrate of Gautam Buddh Nagar and directed the concern Authorities to comply Minutes of Meeting as on 22.06.2023 in light of Hon'ble NGT orders.
5. It is submitted that the District Wetland Committee has been performing its duty with utmost sincerity and taking necessary steps for the protection, conservation of the water bodies/Wetland.

It is therefore requested to you kindly place the present information along with the annexures before the Hon'ble for the adjudication of the Original Application.

Note:-Meeting of minutes has been already submitted before 08-01-2024. After it all are attached for your kind attention.

Place: *NOIDA*

Date: *14/3/2024*


Divisional Forest Officer/Member Secretary,
District Wetland Committee,
Gautam Buddh Nagar

कार्यवृत्त:-

दिनांक 11-03-2024 को सांय अपरान्ह 2.30 बजे श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जूम ऐप के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश की अद्यतन स्थिति हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में श्री जर्नादन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर,, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/ सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति, समस्त उपजिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफिटनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबो की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

क0 सं0	नोएडा प्राधिकरण	जनपद में स्थित तालाबो की संख्या का विवरण								
		प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रैटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यमून प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	12	281	274	277	155	32	11	361	249

उक्त संबंध में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि 13 तालाबो में विकास कार्य प्रचलित है एवं 14 तालाबो के सापेक्ष सेक्टर-168 में तालाब विकसित किया जा रहा एवं 40 तालाबो पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। समिति अध्यक्ष द्वारा नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत स्थित तालाबो की स्थिति एक सप्ताह में स्पष्ट करें तथा अतिक्रमित तालाबो को खाली कराकर अथवा Mitigation की कार्यवाही की जाये। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत कुल 155 तालाब एवं खसरो के आधार पर कुल 269 तालाब अवस्थित है। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबो की सूचना प्रपत्र-2 में तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, जिला पंचायतराज अधिकारी, नगर पालिका/समस्त नगर पंचायत)

2. निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमो तथा आदेशो के कम में अतिक्रमित तालाबो यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबो की संख्या में कोई भिन्नता न रहे किन्तु अब तक की गयी कार्यवाही से समिति को अवगत नही कराया गया है। समिति अध्यक्ष द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
3. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्यों के कारण नष्ट हो गये है अथवा जिनमें अतिक्रमण हो चुका है उन तालाबो को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही की जाये। पूर्व बैठक में भी इस संबंध में निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यवाही की कार्ययोजना बनाकर 24 घण्टे के अन्दर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण/समस्त उपजिलाधिकारी)

4. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु बार-बार निर्देशित किया जा रहा है किन्तु वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये।

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रारूप			भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी / कर्मचारी का नाम / पदनाम
					गाटा संख्या / स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत)
5. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त उप जिलाधिकारी, संबंधित प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर तालाबो एवं वेटलैण्ड की अद्यतन सूचना उपलब्ध करायेगें तथा समस्त उपजिलाधिकारी द्वारा धारा-67 के अन्तर्गत अतिक्रमण से संबंधित समस्त लम्बित वादो को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारित करते हुए अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेगें तथा तालिकावार विवरण प्रस्तुत करेगें। इस संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी समय-समय पर आहुत बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर को लिखित रूप में अवगत करायेगें। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण समस्त उपजिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिक)
6. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में सुनवाई की आगामी तिथि से 24 घण्टे के पूर्व प्रतिउत्तर प्रेषित किया जाये। है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये संबंधित प्राधिकरण अपना प्रतिउत्तर तैयार मा० एन०जी०टी० के समक्ष दाखिल किया जायेगा एवं अन्य संबंधित विभाग अपना प्रतिउत्तर तैयार कर अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व को प्रेषित करते हुए एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में भी उपलब्ध करायी जाये तथा इसकी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व को उपलब्ध करायी जाये।
- (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत)
7. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये सुनवाई की आगामी तिथि से पूर्व अतिक्रमण खाली कराकर सुदृढीकरण कराया जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण समस्त उपजिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिक)
8. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन तालाबो का Mitigate हो गया है उनका संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करा लिया जाये।
9. जो तालाब अतिक्रमण से मुक्त है उनकी साफ-सफाई एवं सर्वधन की कार्यवाही की जाये। कितने तालबो के पुनर्द्वार की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है तथा कितने तालाबो में पुनर्द्वार किया जाना है, इसका विवरण प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कार्यालय में 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायी जाये। (कार्यवाही जिलाविकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर / समस्त खण्ड विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर)
10. वेटलैण्ड के पुर्नजीवन की कार्यवाही की जाये
11. जनपद में स्थित तालाबो का मास्टर प्लान तैयार कर आगामी बैठक में उपलब्ध कराया जाये।
12. एक अभियान चलाकर तालाबो को चिन्हित कर सुदृढीकरण की कार्यवाही की जाये। इस हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये।
13. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त कार्यवाही पूर्ण कर संकलित सूचना सुनवाई की नियत तिथि से 24 घण्टे से पूर्व मा० एन०जी०टी० में प्रतिउत्तर प्रेषित कर दिया जाये।
- (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत)

13/3/24
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 5595/

दिनांक

गौतमबुद्धनगर

2024।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संबंधित को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 5595/ , दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर।
4. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
6. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
7. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
10. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
11. श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद-विशेष आमंत्रित सदस्य जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यवृत्त:-

दिनांक 24-02-2024 को अपरान्ह 12.00 बजे श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जूम ऐप के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य एवं ओ0ए0 संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम यू0पी0 स्टेट एवं अन्य में पारित आदेश की अद्यतन स्थिति हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में श्री जर्नादन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/ सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति, समस्त उपजिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

- निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमों तथा आदेशों के क्रम में अतिक्रमितालाबों यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबों की संख्या में कोई भिन्नता न रहे किन्तु अब तक की गयी कार्यवाही से समिति को अवगत नहीं कराया गया है। समिति अध्यक्ष द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण/समस्त उपजिलाधिकारी)
- जो तालाब अतिक्रमण से मुक्त हैं उनकी साफ-सफाई एवं सर्वधन की कार्यवाही की जाये। कितने तालाबों के पुनर्निर्धार की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है तथा कितने तालाबों में पुनर्निर्धार किया जाना है, इसका विवरण प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कार्यालय में एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाये।
(कार्यवाही जिलाविकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर)
- समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन तालाबों का Metigate हो गया है उनका संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करा लिया जाये।
- वेटलैण्ड के पुर्नजीवन की कार्यवाही की जाये
- समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त उप जिलाधिकारी, संबंधित प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर तालाबों एवं वेटलैण्ड की अद्यतन सूचना उपलब्ध करायेगें तथा समस्त उपजिलाधिकारी द्वारा धारा-67 के अन्तर्गत अतिक्रमण से संबंधित समस्त लम्बित वादों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारित करते हुए अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेंगें तथा तालिकावार विवरण प्रस्तुत करेंगें। इस संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी समय-समय पर आहुत बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर को लिखित रूप में अवगत करायेगें।
(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण समस्त उपजिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिक)
- प्रकरण में सुनवाई की आगामी तिथि 19-03-2024 नियत है। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर नियत तिथि से पूर्व समय-समय पर जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगें।
- समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त कार्यवाही पूर्ण कर संकलित सूचना सुनवाई की नियत तिथि से एक सप्ताह पूर्व मा0 एन0जी0टी0 में प्रतिउत्तर प्रेषित कर दिया जाये।
(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत)
- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम यू0पी0 स्टेट एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29-01-2024 के अनुपालन में निर्देश दिये गये कि यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में High flood level का सीमांकन करके मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में रिपोर्ट दाखिल की जानी है। निर्देश दिये गये कि वांछित सूचना तीन दिन के अन्दर अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये ताकि सूचना का परीक्षण किया जा सके। इसके अतिरिक्त डूब क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही की जाये

(कार्यवाही सिंचाई विभाग/समस्त प्राधिकरण)

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 5337/20-1, दिनांक

गौतमबुद्धनगर 26-2-

2024।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संबंधित को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 5337 / , दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
6. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
7. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
8. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
9. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
10. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
11. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
12. अधिशासी अभियंता, ओखला हैड वर्क्स, नई दिल्ली,
13. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गाजियाबाद।
14. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गौतमबुद्धनगर।
15. समस्त खण्ड विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यवृत्त:-

दिनांक 03-02-2024 को सांय 5.00 बजे श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जूम ऐप के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश की अद्यतन स्थिति हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में श्री जर्नादन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्री अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/ सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति, समस्त उपजिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में Water Bodies के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबो की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

क्र0 सं0	नोएडा प्राधिकरण	जनपद में स्थित तालाबो की संख्या का विवरण								
		प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यमुना प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	12	281	274	277	155	32	11	361	249

उक्त संबंध में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि 13 तालाबो में विकास कार्य प्रचलित है एवं 14 तालाबो के सापेक्ष सेक्टर-168 में तालाब विकसित किया जा रहा एवं 40 तालाबो पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। समिति अध्यक्ष द्वारा नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत स्थित तालाबो की स्थिति एक सप्ताह में स्पष्ट करें तथा अतिक्रमित तालाबो को खाली कराकर अथवा Mitigation की कार्यवाही की जाये। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत कुल 155 तालाब एवं खसरो के आधार पर कुल 269 तालाब अवस्थित है। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबो की सूचना प्रपत्र-2 में तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, जिला पंचायतराज अधिकारी, नगर पालिका/समस्त नगर पंचायत)

2. निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमो तथा आदेशो के कम में अतिक्रमित तालाबो यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबो की संख्या में कोई भिन्नता न रहे किन्तु अब तक की गयी कार्यवाही से समिति को अवगत नही कराया गया है। समिति अध्यक्ष द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण/समस्त उपजिलाधिकारी)

3. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्यों के कारण नष्ट हो गये हैं अथवा जिनमें अतिक्रमण हो चुका है उन तालाबो को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही की जाये। पूर्व बैठक में भी इस संबंध में निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यवाही की कार्ययोजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी)

4. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु बार-बार निर्देशित किया जा रहा है किन्तु वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये।

प्रारूप

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमोज	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत)

5. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त उप जिलाधिकारी, संबंधित प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर तालाबो एवं वेटलैण्ड की अद्यतन सूचना उपलब्ध करायेगें तथा समस्त उपजिलाधिकारी द्वारा धारा-67 के अन्तर्गत अतिक्रमण से संबंधित समस्त लम्बित वादो को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारित करते हुए अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेगें तथा तालिकावार विवरण प्रस्तुत करेगें। इस संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी समय-समय पर आहुत बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर को लिखित रूप में अवगत करायेगें। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण समस्त उपजिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिक)
6. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में सुनवाई की तिथि 18-01-2024 नियत जिसका प्रतिउत्तर एक दिन पूर्व ही मा० एन०जी०टी० के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर मा० एन०जी०टी० द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये कि आगामी तिथि से एक सप्ताह पूर्व ही प्रतिउत्तर प्रेषित किया जाये। है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये संबंधित प्राधिकरण अपना प्रतिउत्तर तैयार मा० एन०जी०टी० के समक्ष दाखिल किया जायेगा एवं अन्य संबंधित विभाग अपना प्रतिउत्तर तैयार कर अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व को प्रेषित करते हुए एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में भी उपलब्ध करायी जाये तथा इसकी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व को उपलब्ध करायी जाये। (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत)
7. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये सुनवाई की आगामी तिथि से पूर्व अतिक्रमण खाली कराकर सुदृढीकरण कराया जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण समस्त उपजिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिक)
8. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन तालाबो का Metigate हो गया है उनका संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करा लिया जाये।
9. जो तालाब अतिक्रमण से मुक्त है उनकी साफ-सफाई एवं सर्वधन की कार्यवाही की जाये। कितने तालबो के पुनर्निर्धार की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है तथा कितने तालाबो में पुनर्निर्धार किया जाना है, इसका विवरण प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कार्यालय में एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाये। (कार्यवाही जिलाविकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर)
10. वेटलैण्ड के पुर्नजीवन की कार्यवाही की जाये
11. जनपद में स्थित तालाबो का मास्टर प्लान तैयार कर आगामी बैठक में उपलब्ध कराया जाये।
12. प्रकरण में सुनवाई की आगामी तिथि 19-03-2024 नियत है। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर नियत तिथि से पूर्व समय-समय पर जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित कराना सुनिश्चित करेगें।
13. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त कार्यवाही पूर्ण कर संकलित सूचना सुनवाई की नियत तिथि से एक सप्ताह पूर्व मा० एन०जी०टी० में प्रतिउत्तर प्रेषित कर दिया जाये।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत)

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 11967/19-1, दिनांक गौतमबुद्धनगर 5-2-2024।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संबंधित को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 11967/1, दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर।
4. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
6. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
7. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
10. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
11. श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद-विशेष आमंत्रित सदस्य जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर